

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/12-13

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

10/7/2017 2013

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिये लोकपाल नियोजन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 07.09.2009 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित ज़िले के लिये, कार्य ग्रहण करने की तिथि से लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	जन्म तिथि	जिला
1	2	3	4
1	श्री नन्दकिशोर शर्मा, 101/10 सिविल लाइन्स, सावित्री कॉलेज के सामने, अजमेर	10.10.1951	अजमेर
2	श्री ख्याली राम मीणा बी-220 शिव ऑफिसर्स कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर	15.07.1950	अलवर
3	श्री मांगीलाल गौड़ - 223-ए, पुरानी भगत की कोठी, जोधपुर	29.06.1949	बाड़मेर
4	डॉ श्रीमती शुक्लाबाला पुरोहित सी-17, साढूलगंज, मेडिकल कॉलेज के सामने, बीकानेर 334003	29.06.1950	बीकानेर
5	श्री इन्द्रराज सिंह पूनियो बी-37, सैनिक बस्ती, सेक्टर - 4, सर्किट हाउस के पास, भालेरो रोड़ चूरू	17.09.1951	चूरू
6	श्री हनुमान सिंह ग्राम/पोस्ट कोडेसर जिला झुन्झुनू - 331027	06.06.1950	श्रीगंगानगर
7	श्री आर.के. रावत प्लाट नं. 51, महादेव नगर 11, स्वेज फार्म, सोड़ाला, जयपुर-19	17.08.1950	दौसा
8	श्री कर्नल अचलाराम पंवार, पोस्ट - पदरोड़ा, तहसील - पोकरण जिला जैसलमेर	08.09.1953	जैसलमेर
9	श्री ख्यालीलाल सिसोदिया 54, आनंद नगर, आयड पुलिया के पास, उदयपुर	15.12.1950	राजसमंद
10	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा 194, क्यू रोड़, भूपालपुर, उदयपुर 313001	05.01.1951	उदयपुर
11	श्री सुरेश चन्द्र व्यास 837, हिरण मगरी, सेक्टर - 4, पुजा नगर, उदयपुर (राज) 313002	02.09.1951	चित्तौड़गढ़

उपरोक्त नियुक्तियाँ 2 वर्ष की अवधि के लिये, जो आगे एक वर्ष तक, प्रदर्शन के मुल्यांकन के आधार पर बढ़ाई जा सकती है अथवा 65 वर्ष तक की आयू पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 07.09.2009 के बिन्दु संख्या 2.2.6 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर, असंतोषजनक प्रदर्शन पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

लोकपाल हेतु सेवा संबंधित अन्य शर्तें ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 07.09.2009 एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।

नियुक्त व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देनी होगी।

भवदीय

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा.वि. एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रा.वि मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
7. निजी सचिव, महात्मा गांधी नरेगा निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संभागीय आयुक्त अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, व उदयपुर।
2. संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, दौसा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, राजसमंद एवं उदयपुर।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, दौसा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, राजसमंद एवं उदयपुर।
4. संबंधित लोकपाल श्री.....
5. जन सम्पर्क अधिकारी ईजीएस जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार ईजीएस जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस